कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ टोंक के कस्बा अलीगढ़ में विक्रम कुमावत जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी, पंचायत समिति अलीगढ़ को 15,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **विक्रम कुमावत, निवासी ग्राम गांबडी पुलिस थाना नीम का थाना जिला सीकर,** हाल जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ़ जिला टोक को **15,000/– रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि एसीबी की टोंक इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के पिताजी को नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022–2023 में खेत पर मेंढबन्दी, तालाब की पाल मिट्टी बालना, बागवानी, पशु आश्रय निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत हुआ था। जिसमे से कुछ कार्य हो चुका है तथा कुछ कार्य शेष है। दिनांक 16.09.2026 से दिनांक 30.09.2025 तक हुये कार्य की गस्टरोल भरी जा चुकी थी. लेकिन आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ़ जिला टोक द्वारा माप पुस्तिका (एम.बी.) भरने की एवज में 18,000/– रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था। दिनांक 03.10.2025 को दौराने सत्यापन आरोपी द्वारा 18,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर 15,000/– रुपये रिश्वत की मांग की जाकर रिश्वत राशि देने पर परिवादी का काम करने हेतु कहां।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस (कार्यभार) श्री महावीर सिंह राणावत** के सुपरवीजन में टी.एल.ओ. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री झाबर मल** ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी विक्रम कुमावत हाल जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी ने आज दिनांक 07.10.2025 को परिवादी से 15,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर परिवादी को खर्च हेतु 500/– रूपये रिश्वत राशि में से लौटाये गये। आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।